भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 3112
गुरूवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक)

देश में अवनियोजन की प्रवृत्तियों का आकलन

3112. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में अवनियोजन की प्रवृत्तियों का कोई आकलन करवाया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर युवाओं और महिलाओं में अत्यधिक अवनियोजन के लिए कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं; और

(घ) अवनियोजन की समस्या से निपटने और कामगारों को अनौपचारिक नियोजन के बजाय स्थिर और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियाँ उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक डेटा वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जो वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किया जाता है। सर्वेक्षण अवधि प्रतिवर्ष जुलाई से जून होती है।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिये सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोज़गारी दर (यूआर) वर्ष 2019-20 में 4.8% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसी अवधि के दौरान महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए बेरोजगारी दर 4.2% से घटकर 3.2% हो गई है और युवाओं (15-29 वर्ष) के लिए बेरोजगारी दर 15% से घटकर 10.2% हो गई है।

इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2019-20 में 50.9% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 58.2% हो गया है। साथ ही, इसी अवधि के दौरान महिलाओं (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए डब्ल्यूपीआर 28.7% से बढ़कर 40.3% हो गया है और युवाओं (15-29 वर्ष आयु) का डब्ल्यूपीआर 34.7% से बढ़कर 41.7% हो गया है।

बेरोजगारी दर (यूआर) और कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का क्षेत्रवार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध है और इसे https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

युवाओं के लिए रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [https://www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****